**12.07 hrs.**

**Title:** Regarding alleged arrest of an MP by Jaunpur Police in Uttar Pradesh

**श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर) :** अध्यक्ष महोदय, मेरे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। संविधान के आर्टिकल 19 में हर नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार है, जबकि मैं तो एक सांसद हूं। अगर दुर्भावना के चलते किसी सांसद को गिरफ्तार किया जाएगा और उसको अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा, अपने क्षेत्र में अन्याय और जुल्म के खिलाफ बोलने नहीं दिया जाएगा, तो कोई भी सांसद अपना काम नहीं कर सकेगा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में माया वती जी की सरकार है। उनके विधायक कहते हैं कि हमने टिकट के लिए दस लाख रुपए, बीस लाख रुपए दिए हैं। अब हमें कब्जा करना है और 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए कमाने हैं। वहां के एक विधायक हैं, उन्होंने ग्राम समाज, गोधना की कन्या पाठशाला के लिए छोड़ी गई जमीन पर, जो तहसील मछलीशहर, जनपद जौनपुर में दर्ज है, 12 तारीख को अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया। उनके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था, जो कई मामलों में वांछित अपराधी है। उस पर कत्ल, अपहरण और लूट के कई मुकदमें दर्ज हैं। उस संतोख सिंह ने कन्या पाठशाला की जमीन पर जिला पंचायत से पट्टा लेकर कब्जा करना चाहा। 12 तारीख को निर्माण शुरू हुआ, तो गांव वाले स्टे आर्डर ले आए। जब गांव वालों को जिला प्रशासन से न्याय नहीं मिला, तो 14 तारीख को सम्पूर्ण गांव वालों ने मिलकर उस अवैध निर्माण को ढहा दिया, उसमें जो पुलिस वाले मदद कर रहे थे, वे भी पीटे गए। बाद में पुलिस को इतना गुस्सा आया कि सैंकड़ों गांव वालों के हाथ-पैर तोड़ दिए गए और 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया कि इन्होंने निर्माण को ध्वस्त किया है। बाद में 14 लोग गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए।

21 तारीख को मैं वहां गया। मैंने जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मांग की कि गांव वालों की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है या नहीं, मुझे बताया जाए। मैंने नोटिस दिया कि 21 तारीख को यहां मैं धरना और प्रदर्शन करूंगा और इसके विरोध में जनसभा करूंगा कि कन्या पाठशाला की जमीन पर अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। 21 तारीख को शांतिपूर्वक सभा हुई और मैंने विरोध किया कि यह निर्माण अवैध हुआ है और जो बसपा के विधायक हैं, उनके बल पर निर्माण कराया जा रहा है। हमें पता नहीं चला, उस क्षेत्र में ही मैं रुका था। बाद में अखबारों के द्वारा मुझे पता चला कि उस विधायक के दबाव के कारण और मुख्य मंत्री के टेलीफोन करने पर मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। मैं शांतिपूर्व ढंग से वहां गया और पूछा कि मेरे ऊपर क्यों मुकदमा दायर किया गया है। मेरे साथ पूर्व विधायक ज्वाला प्रसाद यादव, उसी क्षेत्र के ब्लाक प्रमुख केदारनाथ, जिला पंचायत सदस्य लाला रत्नाकर हरिजन, जिला पंचायत सदस्य आसा राम यादव और पंचायत सदस्य अकेलू यादव भी थे। हम छः लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे ऊपर दफा 147, 427, 504 और 506, जिसमें नानबेलेबल ऑफेंस होता है, दायर कर दी गई। संतोख सिंह जो वांछित अपराधी है, उसके द्वारा एक सांसद पर मुकदमा दायर किया जाएगा तो सामान्य नागरिक को कहां न्याय मिल सकता है। मुझे न्यायालय में पेश किया गया। मेरे वकीलों जावेद अहमद और तिवारी जी ने विद्वान न्यायाधीश के सामने मेरा पक्ष रखा, तो विद्वान न्यायाधीश ने देखते ही कहा कि यह प्रथम दृटया में मुकदमा फर्जी प्र ातीत होता है। इसके बाद हम लोगों को रिहा कर दिया गया। यहां पर नोटिस आता है कि अभियुक्त चन्द्रनाथ सिंह, लोक सभा सदस्य को 28 अगस्त को सुबह नौ बजकर 35 मिनट पर गिरफ्तार किया गया। यह भी नोटिस नहीं आया कि न्यायालय ने निर्दो साबित करते हुए मुझे रिहा कर दिया है।

अगर हम सांसदों को इस तरह गिरफ्तार किया जाएगा, तो कोई भी सांसद काम नहीं कर सकेगा। यह बहुत बड़ा मामला है और यह विशेाधिकार का भी मामला है कि गलत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो किसी भी सांसद को कोई भी राज्य सरकार गलत मुकदमे में गिरफ्तार कर सकती है। यह मेरा मामला नहीं है, पूरे सदन का मामला है। पहले इसकी जांच होनी चाहिए कि वह अपराधी है या नहीं। मैंने कोई अपराध किया हो, तो मुझे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मैं निर्दो रहा, मेरी जानकारी में भी नहीं था।â€¦ (व्यवधान) जब पहले मुकदमा कायम हो गया कि 14 तारीख को ध्वस्त कर दिया गया और 14 लोगों को जेल डाला गया, तो कैसे दोबारा जेल जा सकते हैं। न्यायाधीश महोदय ने भी कहा कि यह गलत है। एक अपराधी, जो कई मुकदमों में वांछित है, वह मेरे खिलाफ मुकदमा दायर करता है।

मान्यवर, मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा कि एक सांसद के अधिकारों का हनन हुआ है, बहुत अन्याय हुआ है। मुख्य मंत्री के फोन करने पर हुआ है। कन्या पाठशाला पर अ वैध कब्जा हो रहा है। संसद से इसकी जांच कराई जाए।â€¦ (व्यवधान) हम यहां से जांच कराने की मांग करते हैं। हम आपसे संरक्षण की मांग करते हैं। अगर संसद की जांच सही मानी जाए तो कार्रवाई होनी चाहिए और अगर कार्रवाई नहीं की गई तो कोई भी सांसद सुरक्षित नहीं होगा। 150 लोगों पर मुकदमा दायर हुआ है।â€¦ (व्यवधान) अध्यक्ष जी, हम आपका संरक्षण चाहते हैं।â€¦ (व्यवधान)

**श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) :** अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। राज्य सरकार से बात करिए। यह बहुत गंभीर मामला है। â€¦ (व्यवधान) उत्तर प्रदेश में जो हालत बनी हुई है, उसमें कोई सांसद काम नहीं कर सकता। संसदीय कार्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। आप सरकार से बात करिए।â€¦ (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से बात की जाए और जो लोग दोाी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए नहीं तो एक सांसद के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।â€¦ (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** आप सभी बैठिए। यहां का नियम देखते ही मुझे मालूम पड़ा कि यह विाय एडजर्नमेंट मोशन का नहीं हो सकता तो भी मैंने सोचा कि एक सांसद को अरेस्ट किया है तो इस पर ध्यान देना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए मैंने आपको आपके विचार रखने की इजाजत यहां दी। आपने जो कहा, मैंने उसे गंभीरता से सुना है और मैं तो यहां के जो पीछे के निर्णय हैं, उनको देख रहा था। मावलंकर जी के निर्णय को देखा कि ऐसी कोई भी बात हो। इसमें पार्लियामेंट के मैम्बर्स के लिए कोई प्रीविलेज नहीं है और इसीलिए मैं एडजर्नमेंट मोशन को तो एडमिट नहीं करता हूं लेकिन यहां पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बैठे हुए हैं, सरकार की तरफ से इस विाय पर ध्यान देने की बात है और वह जरूर ध्यान देंगे।

â€¦ (व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, this matter may please be referred to the Privileges Committee. ...(*Interruptions*)

**कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) :** मान्यवर, एक संसद सदस्य को राज्य सरकार के इशारे पर गिरफ्तार किया गया है।â€¦ (व्यवधान)

**श्री रामजीलाल सुमन :** अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से बात की जाए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।â€¦ (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** मैं अगले विाय पर जा रहा हूं। देखिए, मेरे पास रामजीलाल सुमन का एडजर्नमेंट मोशन भी है और दासमुंशी जी का ज़ीरो ऑवर का नोटिस भी है। दासमुंशी जी ने कल से नोटिस दिया है। वह कल भी इस विाय को उठाना चाहते थे और इसीलिए मैंने उनका नाम लिया है। आप दोनों में से कोई भी इस विाय पर बोल सकते हैं। इसमें मेरे लिए कोई अड़चन नही है। इनके बाद आप बोलिए।

â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Hon. Members, please sit down. Another important subject is being taken up.

...(*Interruptions*)

**अध्यक्ष महोदय :** आठवले जी, मैंने कहा, आप बैठिए। यह गंभीर बात है। मैंने कहा है, मंत्री जी ध्यान देंगे।

â€¦ (व्यवधान)

---